

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/11/24	<p>पत्रावली पैसा डी नगीला नगरपालिका ठामत वरुण 7-2 सुधी गरी पत्रावली वरुण आदि विधी 26/11/2024 नगरपालिका</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
26/11/24		<p>पत्रावली वरुण आदि सायब ठामत निर्देशना हेतु प्रकृत डी पत्रावली वरुण वरुण निर्देशना आदि कारु कर रवारिज कृपा जाता है विस्तृत विधी प्रकृत से विविधा प्रकार सामिल निर्देशना निर्देशना पत्रावली निर्देशना आदि वरुण वरुण से कर डी वरुण निर्देशना विधी वरुण वरुण</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्रसंख्या : 206/2022
निर्णय दिनांक : 26.07.2024

फैलीराम मीणा पुत्र स्व० श्री कानाराम मीणा, आयु 50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सुन्दरलाल अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी नाडी का फाटक, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व, अधिकार की कब्जेशुदा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि ग्राम बाढ श्योपुर पटवार हल्का श्रीराम की नांगल भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा विद्यमान है, इसके साथ ही खसरा नम्बर 165 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165/294 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि ग्राम बाढ श्योपुर पटवार हल्का श्रीराम की नांगल भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज एवं विद्यमान है जिस पर प्रार्थी एवं उसका परिवार काबिज चला आ रहा है उक्त वर्णित भूमि को इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज है उक्त वर्णित विवादित भूमि पर प्रारम्भ से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिसको प्रार्थी के द्वारा तारबंदी कर महदूद किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा कब्जे में होकर उक्त वर्णित भूमि पर कदीम से पशुओं के बांधने व उनको रखने का स्थान, गोबर की रोडी, पानी के टैंक की जगह, टीनपोश कमरे, कच्चा पक्का निर्माण, आने जाने की जगह कर कदीम से वादग्रस्त भूमि का निरंतर एवं निविघ्न रूप से लगातार उपयोग व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त वर्णित कुछ भूमि आज भी खाली पडी है। दिनांक 10.11.2022 से लगातार अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर आया और आते ही प्रार्थी एवं उसके परिवारजन के साथ अमद भाषा का प्रयोग करते हुये गाली गलौच करने लगा और धमकी भरे अंदाज में कहने लगा कि जिस भूमि पर तुम कब्जा करके बैठे हो भले ही उस पर मेरा कब्जा ना हो परन्तु यह भूमि मेरी है मैं तुम्हारे निर्माण को यहां से हटाकर ही जाऊंगा और फोन करके अपने जैसे ही 03-04 गुण्डे किस्म के व्यक्तियों को मौके पर बुला लिया और प्रार्थी व उसके परिवारजन को झुंटे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे पिता से बिना प्रतिफल राशि अदा करे ही एक इकरारनामा इस भूमि का करवा लिया था लेकिन कब्जा इसलिये नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बाप के मरने का इंतजार कर रहा था मैंने उससे इकरारनामा कर कभी भी पैसे अदा नहीं किये इसलिये ही तो तेरे बाप ने मुझको इस भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवाई पर मैंने भी तुम्हारे बाप के अंगूठा निशानी कई बाउचरों व खाली कागजों पर करवा रखे है जो ऐसे मौको पर काम में लेने के लिये रख रखे है उक्त इकरारनामे की आड में मैं तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके उसको अपने स्तर पर भूखण्ड में विभाजित कर उसको औने पौने दामों में बेचकर रहूंगा तुम यहां से जल्दी ही अपना कब्जा खाली कर दो वरना अंजाम बुरा होगा मेरी उपर तक पहुँच है तो इस पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी व उसके साथ खडे 03-04 व्यक्तियों से कहा कि आपका वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं रहा है तो यहां आपकी जमीन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता आप यहां क्यों आये हो यह भूमि आपकी नहीं है यह भूमि हमारी कब्जेशुदा भूमि है आप कानूनन हमारी भूमि को खरीद ही नहीं सकते हो और इस पर तो हत कदीम से काबिज है और इस भूमि का निरंतर उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा इस पर पुख्ता तारबंदी है इतना सुनते ही अप्रार्थी व उसके साथ आये गुण्डा किस्म के व्यक्तियों के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हुये कच्चे पक्के निर्माण तारबंदी को तोडते हुये प्रार्थी व उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी इस पर प्रार्थी के द्वारा तुरन्त पुलिस में जाने की कही तो अप्रार्थी व उसके साथ आये गुण्डा किस्म के व्यक्ति मौके पर से भाग गये और जाते-जाते प्रार्थी को धमकी देकर गये की आज नहीं तो कल वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन दादागिरी के बल पर बेदखल कर अवैध कब्जा कर लेंगे तुम्हे जो भी करना हो कर लेना। अप्रार्थी एक भू-माफिया किस्म के व्यक्तियों के सम्पर्क में है जो प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि जिस पर प्रार्थी काबिज है पर एकराय होकर अन्य असामाजिक तत्वों को साथ लेकर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थी अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से माननीय न्यायालय से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि पर या उसके किसी भी भाग पर जबरन अवैध कब्जा ना करे कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करें प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी भूमि से जिस पर प्रार्थी व उसका परिवार काबिज है को जबरन बेदखल न करे, न अन्य किसी से करावे प्रार्थी के वादग्रस्त सम्पति के किसी प्रकार के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी प्रकार से करावे, किसी प्रकार का मजाहमत (निर्माण) आदि न करे, न अन्य से करावे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी यदि प्रार्थी को जबरन उक्त भूमि से बेदखल कर देता है, किसी प्रकार का निर्माण कर लेता है व उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने के अपने मनसुबों में कामयाब हो जाता है तो इससे प्रार्थी की असहनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकती। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर या उसके किसी भी भाग पर प्रार्थी काबिज है जिस पर प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है, में अप्रार्थी किसी प्रकार से प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करें, न किसी अन्य से करावे, प्रार्थी को जबरन बेदखल न करे, न अन्य से करावे, वादग्रस्त आराजीयात व उसके किसी भी भाग पर अवैध कब्जा ना करे, किसी प्रकार का मजाहमत (निर्माण) कार्य आदि नहीं करे, न अन्य से करावे मौका की आज की यथास्थिति बनायें रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता ने कई वर्षों पूर्व ही श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि. को विक्रय कर दिया गया, विक्रय करने के परिणामस्वरूप उक्त वर्णित आराजी भूमि पर श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि. द्वारा बालाजी विहार-16 आवासीय कॉलोनी सृजित की जा चुकी है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति से उक्त वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जा चुका है जिसकी प्राप्ति रसीदों पर स्वयं प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर हैं, इन सभी तथ्यों की प्रार्थी को आरम्भ से ही जानकारी रही है। मौके पर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर पक्के मकानात बने हुए हैं, मौके पर उक्त भूमि कोई कृषि काश्त नहीं है, ना ही वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि रही है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा है, और ना ही वर्तमान में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में आवासीय कॉलोनी बालाजी विहार-16 विकसित है और कॉलोनीवासियों मकानात बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं एवं उक्त मकानात पर विद्युत कनेक्शन भी लगवा रखे हैं। भूखण्डधारियों ने उक्त आवासीय कॉलोनी में सोसायटी रजिस्ट्रार के यहां वर्ष 2017 में एक विकास समिति बालाजी विकास समिति भी पंजीकृत करवा रखी है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2079 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कोई कृषि काश्त नहीं है और मौके पर मकानात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में उक्त वाद एवं प्रार्थना-पत्र का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है जो सरसरी तौर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने झूठे कथन के आधार पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी पर अनुचित दबाव

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बनाकर गैर-कानूनी लाभ प्राप्त करने की गरज से झूठा वाद एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी द्वारा इस स्थगन की आड में मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।


अप्रार्थी ने जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का पेश किया जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर किये जाने पर तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार अंकित है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी की ओर से दस्तावेजात हाल खसरा गिरदावरी, भूखण्डधारियों के विद्युत कनेक्शन के बिल, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र बालाजी विहार 16 विकास समिति, आवंटन पत्र की प्रति पेश किये। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में मौके पर आवासीय कॉलोनी सृजित होने का अंकन किया गया है, मौके पर कोई कृषि काशत होना नहीं पाया है। अप्रार्थी की ओर से आवासीय कॉलोनी का विकास समिति का प्रमाण पत्र व विद्युत कनेक्शन कर प्रतियां पेश किया है जिससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर बालाजी विहार 16 आवासीय कॉलोनी बसी हुई है वर्तमान में भूखण्डधारी निवास कर रहे हैं। अप्रार्थी की ओर वादग्रस्त भूमि में बसी आवासीय कॉलोनी के आवंटन पत्र पेश किये हैं जिसमें बतौर संयोजक प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर हैं इससे स्पष्ट है कि उक्त आवासीय कॉलोनी प्रार्थी के पिता द्वारा सृजित होना साबित है, हाल खसरा गिरदावरी में भी कोई फसल काशत होना अंकित नहीं है इसमें भी मकानात बने होना व मौके पर भूमि भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल होना अंकित किया गया है, उपरोक्त विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं है और वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजस्व न्यायालय में कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना संभव है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्वयं के पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरुद्ध बनना पाया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त दोनों बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है और प्रार्थी व उसका परिवार उसका उपयोग उपभोग कर रहा है, यदि उसे वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो उसे भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई जिस पर भूखण्डधारियों ने मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, तहसीलदार रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकन किया कि मौके पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई और आवंटन पत्र पर बतौर संयोजक प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर हैं जिससे साबित है कि उक्त आवासीय कॉलोनी प्रार्थी के पिता द्वारा सृजित की गई है, यदि अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अप्रार्थी को अधिक असुविधा व अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी व अप्रार्थी के तर्कों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः ऐसे में उसे किस प्रकार भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी, यह प्रार्थी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसके विपरित अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेजात पेश किये हैं जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी सृजित है और वर्तमान में भूखण्डधारी निवास कर रहे हैं, यदि अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अप्रार्थी को भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

उक्त प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, जिससे प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कर मूल वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर